




- भूमि का प्रकार कृषि भूमि
- मीहल्ला / ग्राम...,मीजा सतोहा असगरपुर तहसील व जिला मथुरा
- मापन की इकाई (हैक्टेयर) एकवा 0,826 हैक्टेयर
- सम्पत्ति का प्रकार :- कृषि भृगि
- पेड़ों का गृल्याकन....नहीं
- बोरिंग/कुंआ/अन्य. नहीं
- 7. . प्रतिकल की घनराशि 2900000/ रूपये
- स्टाम्प हेतु मालियत 2900000 / रूपये
- 9. स्टाम्प देय : 90000 / रूपये
- 10. सरकारी दर भूमि सङ्क से दूर 1200000/—क्रप्ये प्रतिएकङ् जो संशोधित नवीन रेट लिस्ट के पृष्ठ सं0 4 क्रमांक 29 पर दर्ज है। कार्यक्षेत्र उठिनेठ मधुरा — प्रथम/द्वितीय



AMISMES SINE







482264



(2)

प्रथमपक्ष की संख्या (1)

विक्रेता का विवरण

दुर्गी पुत्र श्री बहोरी निवासी ग्राम दतिया तहसील व जिला मथुरा विक्रेता प्रथमपक्ष व भी पातीराम पुत्र श्री मंगीसिंह निवासी अकबर पुर तहसील छाता जिला मधुरा व अरविन्द कुमार पुत्र को बंगालीमल निवासी लाजपत नगर महोली रोड, मधुरा मुहायदा वै चारक द्वितीयपद्म पक्षगण इस लेखपत्र के हैं।

द्वितीयपक्ष की संख्या

क्रेता का विवरण

प्रदीप कुमार अग्रवाल पुत्र स्व0 श्री जमुनाप्रसाद अग्रवाल निवासी 111,श्रीजमुनाधाम कालीनी गोवर्धन चाँर हा, मधूरा













482265



हमिक दुर्गी पुत्र श्री बहोरी निवासी ग्राम दितया तहसील व जिला मधुरा विक्रेता प्रथमपक्ष व श्री पातीराम पुत्र श्री मंगीसिंह निवासी अकबर पुर तहसील छाता जिला मधुरा व अरविन्द कुमार पुत्र श्री बंगालीमल निवासी लाजपत नगर महोली रोड, मधुरा मुहायदा वै धारक द्वितीयपक्ष पक्षगण इस लेखपत्र के हैं।





482266



(4)

जो कि जाराजी सक्रमणीय भूगिधरी खाता नवर—174 व खसरा नंबर—74 रकवा 0.826 हैक्टेयर लगानी 13.35 रूपया सालाना बार्क मौजा सतोहा असगरपुर तहसील व जिला मधुरा मिल्कियत विक्रेता प्रथमपक्ष है और सरकारी कागजात गाल में विक्रेता प्रथमपक्ष का ही नाम बहैसियत गालिक दर्ज है। विक्रेता प्रथमपक्ष का ही कब्जा है और जिसके विषय में विक्रेता प्रथमपक्ष को हर तरह के अधिकार प्राप्त है और जो हर तरह के झगड़े झंझटों व कंजों आदि से पाक साफ है सिवाय विक्रेता प्रथमपक्ष के अन्य किसी का कोई हक हिस्सा व सम्बन्ध नहीं है न कोई एसा व्यक्ति अथवा वस्तु है जो विक्रेता प्रथमपक्ष के इस बैनामा करने में कोई क्षकावट या बाह्य पैदा कर सके उक्त आराजी पर किसी

Con godf of

साव युक्तभा





482267

भी वित्तीय संस्था बैंक आदि या व्यक्ति विशेष का कोई भी वार या मार किसी भी प्रकार का नहीं, है यानि कि वेची जाने वाली आराजी एक मात्र पाक साफ मिल्कियत विक्रेता प्रथमपक्ष की ही है मौजे की आराजी का सड़क से दूर होने की वजह से सरकारी रेट 1200000/—रूपया प्रतिएकड़ का है और बेचे जाने वाली आराजी की स्टाम्प हेतु मालियत 2900000/—रूपया है कृषि से कोई खास आय नहीं हो पाती है सौमाग्य से इस समय कीमत अच्छी मिल रही है बेचने में विक्रेता प्रथमपक्ष का सरासर लाम है

(5)










482268



(6)

कीमत के प्राप्त रूपयें को कंही भी लगा देने से विक्रेंता प्रथमपक्ष को एक अच्छी व निश्चित आय हो जादेगी। प्रथमपक्ष ने अपनी उक्त आराजी के बेचने का मुहायदा वै दिनांक-8.9.2008 जिलका निबंधन कार्यालय चंग्रनिंग मधुरा में बही नंबर-1 जिल्द 3858 के सफा 349/364 नंबर- 9989 पर हुई द्वितीयपक्ष से तय किया था मुहायदा वै की शर्तों के अनुसार व एसके अनुपालन में यह विक्रय पत्र द्वितीयपक्ष को शामिल कर उसकी सहमति से किया जा रहा है।अतः चक्त आराजी को समस्त अधिकारों सहित



When it of the





482269

(7)

जो विक्रेता प्रथमपक्ष व मुहायदा वै द्वितीयपक्ष को प्राप्त है या भविष्य में प्राप्त हो सकते हो वएवज 2900000 / - उन्तीस लाख रूपये जिसके आधे 1450000 / - चौदह लाख पचास हजार रूपया होते हैं। बदस्त प्रदीप कुमार अग्रवाल पुत्र स्व० श्री जमुनाप्रसाद अग्रवाल निवासी 111,श्रीजमुनाधाम कालीनी गोवर्धन चौराहा, मथुरा के हक में वै कहाई कर दिया और बेच दिया और कीमत का कुल रूपया पहले प्राप्त कर बेची गई जंवत आराजी पर खरीदार का बाकई कब्जा व कब्जा मालिकाना

J. # 35AV



STEP FORT






482270





(8

करा दिया । खरीदार बेची गई आराजी का सम्पूर्ण स्वामी हुआ । खरीदार समस्त अधिकार मालिकाना प्रयोग में लावें और स्वयं जो चाहे तो करें अब विक्रेता प्रथमपक्ष व विक्रेता प्रथमपक्ष व उसके वारिसानों का बेची गई उन्त आराजी से कोई भी सम्बन्ध किसी भी प्रकार का रोष नहीं रहा न भविष्य में कदापि हो सकेगा। यदि बेची गई उक्त आराजी के समबन्ध में कभी कोई विवाद किसी भी प्रकार का उत्पन्न हो या बेची गई



SKEL & BANK






Scor Sign UTTAR PRADESH

482271

उक्त आराजी का थोशा या कुल कर्जा खरीवार से निकल जावे या खरीवार को कुछ खर्च करना पड़े या देना पढ़े या कोई बार बरामद हो तो उसकी समस्त जबाबदेही व खर्चा अदालत व अदा करदा रूपया मय जर समन व जर लागत व सूद, व हर्जा खरीदार सब विक्रेता प्रथमपक्ष जिम्मे है और खरीदार वह सब विक्रेता प्रथमपक्ष से व उसके वारिसानों व उसकी चल अथल सम्पत्ति से हस्त जाब्ता मय खर्च के बसूल करलें । इसमें प्रथमपक्ष को होई उज नहीं होगा। आराजी एक फसला है आराजी कृषी कार्य

(9)











482272



(10)

में आ रही है आराजी में इस समय कोई फसल नहीं खढ़ी है न ही आराजी में कोई पेड़े आदि है । विक्रंता अनुसूचित जाति का सदस्य नहीं है। खरीदार अपना दाखिल खारिज राजस्य अमिलेखों में करालें जिसमें मुझ विक्रेता की पूर्ण रजामन्दी व स्वीकृति है। <u>उक्त आराजी के 200 मीटर (सराउन्हिंग) में कृषी कार्य हो रहा है।</u> फोटो प्रमाणित राजेन्द्र प्रसाद पाठक एडवोकेंट ने किये हैं। उक्त प्रलेख क्रेता विक्रेता के कहें अनुरार गवाहों के समक्ष उन्हें पढ़ा व सुनाकर उनके निर्देशानुसार







48227.3




11

ड्रापट किया गया है। विक्रेता ने अपना सम्पूर्ण अंश बेचा है। अब विकेता का उक्त खसरा नंबर में कुछ भी अंश भूमि शेष नहीं है । तरदीकी मुख्तारनामा आन दिनांक-9.12.2004 जिसका निबंधन कार्यालय उठनिठ मथुरा में बही नंबर-6

े जाः दुक्त

आवि दश्य






D 455379




12

जिल्द के सफा 27 नंबर-6 पर दिनांक-9.12.2004 हुआ, रासबिहारी पुत्र श्री मोहनलाल अग्रवाल निवासी पाठक गली, राजाधिराज बाजार, मधुरा को उक्त प्रदीप










D 455380




13

कुमार क्षायाल पुत्र स्व० भी जमुनाप्रसाद जी निवासी 111, भी जमुनाधाम कालौनी गोवर्धन चौराह, नेधुरा की और से उनके द्वारा हस्तकारित प्रलेख प्रस्तुत करने व निबंधनहैं करोने आदि के पूरे पूरे अधिकार प्राप्त हैं।



STREET STILL MAN





D 455381

क्षित 3 1 DEC 20.

14

लिहाजी यह बैनामा चखुशी राजी खूबसोचसमझकर लिख दिया कि सनद रहे और समय हर काम आवें।

विनांक-9.1.2008

कम्प्यूटीराईण्ड :

गोपाल कृष्ण झारिया मधुरा


ड्राप्ट किया : सुभाष कुमार चतुर्वेदी एडवोकेट,मधुरा ।

3-351351

2012(c) 3 2011C

on Object

क्रिया क्रिया कार प्राच्या मानू अमानी थेड



अन्याम रिक्ट एक नाम विद्

